

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस



अपील संख्या: 80/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/117

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्त

बनाम

1. आशाराम पुत्र श्री नानकराम जाति मोची निवासी वार्ड नं. 31 सूरतगढ़
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— रेस्पोंडेंट्स


उपस्थित: श्री बहादुरराम सुथार — अभिभाषक अपीलांत
श्री श्याम सुंदर चांडक — अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं. 1

निर्णय

दिनांक 15.01.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 30.03.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

1- वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 259 की तादादी 2.10 हैक्ट. व खसरा नंबर 260 की तादादी 4.200 हैक्टियर कुल तादादी 6.300 हैक्टियर बारानी भूमि है, जो रेस्पोंडेंट संख्या 1 को टीसी आवंटित भूमि है। उक्त आवंटित रकवा पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण रेस्पोंडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 के विरुद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।


संभागीय आयुक्त
बीकानेर



2- अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।


3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुर राम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2022 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 259 की तादादी 2.10 हैक्ट. व खसरा नंबर 260 की तादादी 4.200 हैक्टियर कुल तादादी 6.300 हैक्टियर बारानी भूमि है, जो पूर्व में रेस्पो. सं. 1 को टी.सी. आवंटन था, जिसका सम्वत् 2043 से कभी भी नवीनीकरण नहीं हुआ है। रेस्पोडेंट सं. 1 ने सन् 1986 से लेकर 2006 तक टी.सी. नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। इसकारण से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कब्जा काशत नहीं रहा है। उक्त भूमि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेशों के मुताबिक कस्बा सूरतगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण खारिज किया जाकर नगरपालिका सूरतगढ़ को वर्ष 2006 में सौंप दिया गया। जैर आदेश अपील अधीनस्थ न्यायालय में 9 वर्ष बाद पेश हुई, जिसे बिना किसी संतोष जनक कारण मियाद माफ कर दिया गया। वादगत रकबा नगर पालिका की 2 किमी की परिधि में आ चुका है, जहां न तो खातेदारी मिल सकती है और न ही टी.सी. आवंटन नवीनीकरण किया जा सकता है। वादगत रकबा का स्वामित्व/कब्जा अपीलांट के पास है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिपोर्ट मंगाए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। आदेश जैर अपील 9 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जो मियाद बाहर थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी जब हुई जब अपीलांट के कर्मचारी वादगत भूमि पर विकास कार्य कर रहे थे। अपीलाधीन रकबा अपीलांट को दिनांक 07.09.2006 को हस्तांतरित हो चुका है। रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया। तदुपरांत अपीलांट को जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बना। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट रवीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के



संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1992 पेज नंबर 431, आर.आर.टी. 2018 पेज नंबर 364 व आर.बी.जे. 1999 पेज नंबर 214 को अवलोकनीय बताया है।

4- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 07.09.2006 रेस्पो. सं. 1 को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर रेस्पो. के 47 वर्ष पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलांत को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें सन 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सन् 1970-71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर संवत् 2061 तक नवीनीकरण होता रहा है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो. का रकबा नगरपालिका पैराफैरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 03.06.2006 को निरस्त किया जाना उचित एवं सही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांटा का वादगत रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि रेस्पो. का उक्त रकबा 8 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। अपीलांत स्वयं द्वारा रेस्पो. के हक में अनापति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। तहसीलदार सूरतगढ़ को रेस्पो. के उक्त टी.सी. आवंटन को खारिज करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलांत द्वारा वादगत भूमि में कोई स्कीम नहीं चला रखी है। आदेश दिनांक 07.09.2006 में वेंस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाल दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं वादगत भूमि वर्ष 1970 से ही आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सही एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमायी जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं:-


- डी.एन.जे.(रेव.) 2023(2) पेज नंबर 916
- आर.आर.टी. 2013(2) पेज नंबर 1418
- एस.वी. सिविल रिट पिटीशन नं. 9497/2018 माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर।


राज्य माननीय आयुक्त
जोधपुर



5- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 पारित कर रेसपो. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 को निरस्त कर दिया। जैर आदेश अपील अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर पेश हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा मियाद के बिन्दु को तय किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

6- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर